

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000702015

दांडिक प्रकरण क.-11 / 15

संस्थापित दिनांक-14.01.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-हरदेव पुत्र शिवलाल अहिरवार उम्र 23 साल निवासी ग्राम निदानपुर थाना चंदेरी, जिला अशोकनगर। <div>.....आरोपी</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री मिर्जा अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 25.04.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456, 354 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादिया

आशाबाई ने दिनांक 23.12.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह खाना बना खाकर अपने कमरे में सो रही थी। करीब रात के 12-1 बजे उसके कमरे में हरदेव अहिरवार घुस आया और बुरी नीयत से उसके कपड़े खींचने लगा। जब वह जाग गई तो उसने उसका बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया तब वह चिल्लाई तो उसकी सास एवं पड़ोसी बलराम अहिरवार, बुंदेल अहिरवार आ गए और इन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 536/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 456, 354 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 456, 354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 19.12.2014 को समय रात करीब 12-1 बजे थाना चंदेरी निदानपुर में फरियादिया आशाबाई के घर में घुसकर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया आशाबाई अहिरवार जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक

01 लगायत 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 आशाबाई, अ.सा. 02 शांतिबाई, अ.सा. 03 बुंदेल सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 आशाबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपी से लेन देन के उपर झगडा हो गया था। जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी उसके घर में घुस आय था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नीयत से कपडे पकडकर उसे खींचा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 जानकीबाई एवं अ.सा. 03 बुंदेल सिंह ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को फरियादिया का आरोपी से लेन देने के उपर झगडा हो गया था। दोनों साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने फरियादिया के साथ घटना कारित की थी। अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने फरियादिया के बुरी नीयत से कपडे पकडकर खींचे थे। दोनों साक्षीगण ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी फरियादिया के घर में रात्रि में घुसा था। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी अपराध करने की नीयत से फरियादिया के घर में रात्रि में घुसा था। एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह भी नहीं बताया है कि आरोपी ने फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था।

08— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 456, 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

11— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)